न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर ।

अपील संख्या- 52/2016

1- राजेन्द्र पुत्र गुगनराम ⟅ जाति जाट निवासीगण रायपुर जाटान तहसील
2- सरोज स्त्री राजेन्द्र ⟅ बुहाना जिला झुन्झुनू ।

3- श्यामलाल उर्फ श्यामाराम पुत्र रिछपाल जाति जाट निवासी सिलारपुरी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू ⟅मृतक दौराने अपील⟆

3/1- धनपतराम पुत्र ⟅ श्यामलाल उर्फ श्यामाराम
3/2- शिवराम पुत्र ⟅
3/3- अशोककुमार पुत्र बनवारीलाल ⟅
3/4- कुलदीप पुत्र बनवारीलाल ⟅ पुत्रगण श्यामलाल उर्फ श्यामाराम
3/5- सिलोचना स्त्री रामस्वरूप ⟅
3/6- प्रमिला स्त्री नेतराम ⟅

3/7- हिमांशु उम्र-14 वर्ष पुत्र नेतराम पुत्र श्यामलाल उर्फ श्यामाराम नाबालिग जरिये कुदरती वली माता प्रमिला स्त्री नेतराम पुत्र श्यामलाल उर्फ श्यामाराम सभी जाति जाट मूल निवासीगण सिलारपुरी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू ।

4- हुक्मीचन्द पुत्र कन्हीराम ⟅
5- होशियारसिंह पुत्री कन्हींराम ⟅ जाति जाट निवासीगण सिलारपुरी
6- उदमीराम पुत्र रिछपाल ⟅ तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू ।
7- राज पुत्र फूलाराम ⟅
8- अन्तरसिंह पुत्र रामनाथ ⟅
9- हरिसिंह पुत्र रामनाथ ⟅
10- बेलसिंह पुत्र रामनाथ ⟅

--अपीलान्टस---

----बनाम---

1- फूलचन्द ⟅ पुत्रगण हनुमान जाति जाट निवासीगण हीरवा तहसील बुहाना
2- धर्मपाल ⟅ जिला झुन्झुनू ।

3- तहसीलदार बुहाना जिला झुन्झुनू ।

4- जिला कलेक्टर झुन्झुनू जिला झुन्झुनू ।

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक
21-4-2016 द्वारा उप खण्ड
अधिकारी, बुहाना ।
---0---

उपस्थिति-

1-श्री विजयपाल-प्रथम एडवोकेट- अपीलान्ट
2-श्री विजयपाल एडवोकेट- रेस्पोडेन्ट

निर्णय दिनांक- 30.4.2018

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट संख्या-1 व 2 ने अदालत मातहत में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण ग्राम हीरवा स्थित आराजी ख0नं0 1092/735 रकबा 0.36 हैक्टर तथा ख0नं0 732 रकबा 0.01 हैक्टर, ख0नं0 733 रकबा 0.03 हैक्टर, ख0नं0 734 रकबा 0.05, ख0नं0 735 रकबा 3.62 हैक्टर कुल किता-4 रकबा 3.71 हैक्टर का प्रार्थीगण ऐकाकी खातेदार काश्तकार दर्ज है ।ग्राम हीरवा के ख0नं0 736, 737, 738, 740, 745 कुल किता-5 रकबा 4.68 हैक्टर के खातेदार भारत सरकार जरिये कस्डोडियन जिला कलेक्टर झुन्झुनू प्रतिवादी सं0-10 है परन्तु काबिज काश्त अप्रार्थी सं0-3 से 8 का कब्जा है तथा ख0नं0 734 रकबा 1.60 हैक्टर के खातेदार काश्तकार अप्रार्थी सं0-1 से 2 है ।

एक आम रास्ता ग्राम हीरवा से जोडीया व किठाना की ओर है जो उक्त भूमि ख0नं0 740, 739 तक कटान का रास्ता नजरी नक्शा में दिखाया गया है। जिसमें प्रार्थीगण की भूमि उस रास्ते के ख0नं0 739, 736, 737 से होकर आम रास्ता नजरी नक्शा में नही दर्शाया । जबकि मौके पर 3 फुट की पगडण्डी जो कदीम से ग्राम हीरवा से लछानी जोहडी(खुडोत सीमा) को जाती है । प्रार्थीगण

का ख0नं0 732, 733, 734, 735 में एक चाह जिस पर विघुत कनेक्शन है तथा प्राथीगण परिवार सहित आबाद है । विघुत कनेक्शन हेतु ट्रांसफार्मर लगा है जिसे बदलने हेतु वाहन की आवश्यकता होती है । ट्रांसफार्मर को बदलने के लिये पगडण्डी का ही प्रयोग करने से वाहन को 900 फूट दूर छोडना पडता है।अप्रार्थीगण को इस पगडण्डी का 8 फुट चौडी करने के लिये कहा किन्तु उन्होने मना कर दिया जिस पर यह प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे अदालत मातहत ने बाद सुनवाई स्वीकार कर लिया जिससे क्षुब्ध होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की है ।

योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली है । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 2010 के तहत जोडी गई धारा-251(क) के प्राव--धान रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र लागू नहीं होते हैं। आराजी ख0नं0 739 737, 338 जिनकी सीमा के सहारे सहारे रास्ता चाहा गया है तथा जिसे अदालत मातहत द्वारा दिया गया । इनमें से आराजी ख0नं0 736, 737 व 738 भूमि अपीलांन्टस् की नहीं है। इस आराजी पर केवल कब्जा है जो राजकीय भूमि है । इस कारण उक्त आराजी में से रास्ता दिये जाने के लिये राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा-251(क) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं ।इस धारा के तहत यह आवश्यक है कि आवेदकगण की जोत तक पंहुचने के लिये वैकल्पिक रास्ता नहीं होना चाहिये । जबकि आवेदकगण ने तो अपनी जोत तक पंहुचने के लिये एक 3 फुट चौडी पगडण्डी कदीम से ख0नं0 739, 736, 737 में से होते हुए आवेदकगण के खेत खसरा नम्बर 735 में जाती है । जिसको 8 फुट चौडा करने का निवेदन भी किया गया है । यह 3 फुट पगडण्डी ख0नं0 735 की पश्चिमी सीमा से है जो आज भी चालू है जो लडानी जोहडी तक जाती है और उक्त जोहडी में 15-17 घरो की आबादी है मन्दिर तथा सार्वजनिक कुआ है।0 जो बन्द किये जाने योग्य नहीं है। इस कारण इस प्रार्थना पत्र पर धारा-251(क) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं । आवेदकगण/रेस्पोडेन्ट के जोत तक आने जाने का वैकल्पिक रास्ता है । अदालत मातहत ने आवेदकगण को सुविधा के लिये ख0नं0 739 की पूर्वी व दक्षिणी सीमा

के खेत ख0नं0 735 की समा तक पूर्वी भाग की ओर नया रास्ता दिया आवश्यक नहीं है बल्कि सुविधाजनक रास्ता दिया है। अदालत मातहत ने आवेदकगण के खेत में वैकल्पिक रास्ता नहीं मानकर आदेश पारित करने में भी कानूनी भूल की है। यह रास्ता दिये जाने से अपीलान्ट के खेत में से दो रास्ते हो जायेंगें एक तो पहले से पगडण्डी तथा दूसरा अब नया रास्ता कायम कर दिया। पगडण्डी को कभी बन्द भी नहीं किया जा सकता। कानून 3 फुट चौडी व पगडण्डी को 3 मीटर चौडा करने के आदेश दिये जाते या धारा-25। के तहत ग्राम पंचायत अथवा सक्षम न्यायालय में याराजोही का आदेश दिया जाना चाहिये था। ख0नं0 736, 737 738 व 745 को भारत सरकार की खातेदारी में गलत माना है यह आराजी राज्य सरकार की खातेदारी में दर्ज है। इस कारण प्रकरण में राज्य सरकार को पक्षकार बनाया जाना चाहिये था किन्तु रेस्पोंडेन्ट ने राज्य सरकार को पक्षकार नहीं बनाया। रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र आवश्यक पक्षकार के अभाव में ही खारिज होने योग्य होते हुये उसे स्वीकार कर कानूनी भूल की है। अपीलान्ट ने अदालत मातहत में राजस्व रेकार्ड पेश कर जबाब दिया तथा सुझाव दिया है कि ग्राम हीरवा से जोडिया किठानाप को जाने वाले कटानी रास्ता ख0नं0 775 ग्रेवल रोड बनी है से पश्चिम दिशा में आवेदकगण के खेत ख0नं0 735 व उक्त खसरा नं0 775 के बीच में दो खेत ख0नं0 746 व 749 पडते हैं दोनो ही काश्तकारों की खातेदारी के खेत है तथा ख0नं0 775 व 735 के बीच की दूरी खसरा नं0 739, 737, 738 से ख0नं0 735 के मध्य की दूरी से बहुत ही कम है। अदालत मातहत ने इस बिन्दु पर भी कोई गोर ने कर अपना निर्णय विधि विरूद्ध पारित किया है। अनावेदक रामनाथ पुत्र रिछपाल का देहान्त दिनांक 20-4-2016 को हुआ तथा सन्दर्भित आदेश 21-4-16 को पारित किया जो एक मृत व्यक्ति के विरूद्ध पारित किया है। इस कारण भी अदालत मातहत का आदेश शून्य है। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय निरस्त कर अन्य अनुतोष अपीलान्ट को दिये जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया

बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी ।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने लिखित बहस पेश करते हुये कथन किया कि रेस्पोन्डेन्ट संख्या-1 व 2 दोनों सगे भाई है जिनके द्वारा अदालत मातहत में यह प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें दर्ज किया कि ख0नं0 739, 736, 737 में से होकर पगडण्डी 3 फुट चौडी कदीम से ग्राम हीरवा से लडानी जोहडी को जाती है जिसे 8 फुट चौडा करने के लिये कई बार अपीलान्टस् को कहने पर मना कर दिये जाने पर यह प्रार्थना पत्र पेश करने का कारण दर्ज किया है । अदालत मातहत में यह प्रार्थना पत्र पेश होने पर मौके की रिपोर्ट मंगवाई गई जो दिनांक28-9-2012 को हल्का पटवारी द्वारा तैयार कर भिजवाई गई । जिस पर प्रतिहस्ताक्षर तहसीलदार बुहाना के भी है ।इस मौका रिपोर्ट के साथ नजरी नक्शा है जिसमें ख0नं0 739, 737 व 738 में उक्त पगडण्डी को दर्ज कर फूलचन्द के खेत तक जाना दर्ज किया है ।ख0नं0 735, 1092/735, 732, 733, 734 के फूलचन्द व धर्मपाल संयुक्त खातेदार काश्तकार दर्ज है। जिससे यह पगडण्डी ख0नं0 735 से होकर ख0नं0 735 के पश्चिमी उत्तरी कौने से होकर आगे तक जाती है। नजरी नक्शे में दर्ज किया है ।इसके बाद एक अन्य फर्द मौका रिपोर्ट तहसीलदार बुहाना से प्राप्त की हुई दिनांक 27-9-13 की है जिसमें भी ख0नं0 737, 738, 739 में यह डोटेड रास्ता डब्ल लाईन से दर्ज किया गया है ।अर्थात रेस्पोन्डेन्ट संख्या-1 व 2 के खेत ख0नं0 735 में आने जाने का वैकल्पिक रास्ता मौजूद है। इसके बाद तीसरी फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 27-5-15 राजस्व लोक अदालत शिविर घरडाना खुर्द में रेस्पो0 के प्रार्थना पत्र पर मंगाई गई उसमें ख0नं0 739 जो अपीलान्ट राजेन्द्र एवं उसकी औरत सरोज की खातेदारी काश्त की है। उक्त ख0नं0 739 से होती हुई पगडण्डी होना दर्शाकर ख0नं0 737, 738 दोनो की सींव मिलती है उक्त सींव से होकर उक्त दोनो ख0नं0 737, 738 के भू-भाग से रास्ता दिया जाने के लिये अंकित किया है। ख0नं0 737 ~~ए~~ एवं 738 राजकीय भूमि होने पर राजकीय भूमि के बदले प्रार्थीगण/रेस्पोन्डेन्ट संख्या-1 व 2 ने अपनी खातेदारी भूमि ~~[illegible]~~ समर्पित कर रास्ता दिये जाने का कथन किया है यह फर्द मौका रिपोर्ट में है ।फर्द मौका

मन मर्जी से उक्त रास्ता दिया जाने का आदेश विधि के विपरित पारित किया है। अदालत मातहत ने अपने निर्णय से ख0नं0 739 की पूर्वी सीमा के सहारे सहारे ख0नं0 738 के दक्षिण सीमा तक जो हीरवा से जोडिया व किठाना जाने वाले रास्ते में मिलता है जिसका मुआवजा ख0नं0 739 के खातेदार राजेन्द्र व सरोज को 50100/- देना तय करके तथा ख0नं0 738 में से ख0नं0 739 व 737 की सम्याल सीमा होते हुये ख0नं0 735 प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट के खेत तक की भूमि जिसका कुल रकबा 0.04 हैक्टर बनता है जिसके मुआवजे की राशि 66780/- निर्धारित की जाती है निर्णय में दर्ज किया है। नजरी नक्शा निर्णय का भाग रहेगा । इस प्रकार का निर्णय पूर्णतया विरोधाभाषी एवं गलत है। ख0नं0 739 की पूर्वी सीमा होते हुये ख0नं0 738 की दक्षिण सीमा तक कथित रास्ता हीरवा से जोडिया व किठाना जाने वाला रास्ता कभी भी मौके पर अस्तित्व में नहीं रहा और न ही है। इस प्रकार फर्द मौका एवं निर्णय एक दूसरे के विरोधाभाषी है। इस बिन्दू पर अदालत मातहत ने कोई गौर न कर अपना निर्णय दिया है । अदालत मातहत का निर्णय विधि विरूद्ध है । विद्वान वकील अपीलान्ट ने बहस के समर्थन में आरआर डी 14-8-2016 पेज 458 प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय निरस्त कर प्रकरण रिमाण्ड किये जाने का निवेदन किया ।

विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट ने बहस में अदालत मातहत के निर्णय को उचित ठहराते हुये कथन किया कि रेस्पोडेन्ट के खेत खसरा नम्बर में 735 में आने जाने का रास्ता ख0नं0 739, 736, 737 की पगडण्डी है जो नजरी नक्शे में दर्ज नहीं की गई । रेस्पोडेन्ट ने खसरा नं0 732, 733, 734, 735 में एक चाह बना रहा है जिसमें विद्युत कनेक्शन हेतु ट्रासफार्मर लगाने के लिये गाडी लाने की आवश्यकता है। जब भी ट्रासंफार्मर लगाना होता है वाहन को 900 फुट दूर ही छोडना पडता है । इस कारण इस रास्ते को 8 फुट चौडा किया जावे ।प्रार्थी/ रेस्पोडेन्ट के परिवार में कभी कोई बीमार भी होता है तो उसे भी चारपाई पर ही ले जाना पडता है। फसल बुआई के लिये भी ट्रेक्टर नहीं ला सकते जिससे रेस्पो0 को अपनी खेती की जुताई बुवाई में काफी परेशानी होती है ।रेस्पोडेन्ट सं0-1व

में काश्त के लिये वाहन ऊँट गाडी व ट्रेक्टर लाने ले जाने के लिये रास्ते की सखत आवश्यकता है ।फर्द मौका रिपोर्ट में में रास्ते की सखत आवश्यकता बताई गई है । अपीलान्ट का यह कहना गलत है कि हमने कभी भी रास्ता बन्द नहीं किया तथा ना ही रास्ता को 8 फुट चौडा करने के लिये मना किया । अपीलान्ट ने बहस में बताया की 6 रामनाथ पुत्र रिछपाल की निर्णय से पूर्व मृत्यु हो गई ।किन्तु इस बारे में अपीलान्ट ने आदेश-22 नियम-10 सीपीसी के तहत आवेदकगण को कोई सूचना नहीं दी है । साथ ही अपीलान्ट का यह कथन भी मिथ्या है कि इस प्रकरण में धारा-251{क} के प्रावधान लागू नहीं होते । मेरा प्रार्थना पत्र आम रास्ता को 8 फुट चौडा कराने का था जिसमे ऊट गाडी ट्रेक्टर आ जा सके ।अब मेरे प्रार्थना पत्र पर धारा-251{क} के प्रावधान किस प्रकार लागू नहीं होते अपीलांट ने स्पष्ट नहीं किया ।अदालत मातहत ने मौका रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद मुझे रास्ते की अति आवश्यकता होने पर ही रास्ता दिया है जिसमें किसी प्रकार की न तो विरोधाभाषी तथ्य है और न ही किसी प्रकार की कोई कानूनी भूल है अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे ।

बहस बगौर समाहत की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । जमाबन्दी सं0- 2066 से 2069 में ख0नं0 732, 733, 734, 735 की खातेदारी रेस्पोडेन्ट संख्या-1 व 2 के नाम दर्ज है । ख0नं0 736, 737, 738, 740, 745 की खातेदारी राजकीय दर्ज है । ख0नं0 739 की खातेदारी अपीलान्ट संख्या-1 व 2 के नाम दर्ज है।सर्वप्रथम तो अनावेदक संख्या-6 रामनाथ के फौत होने की बात है वह अदालत मातहत में अनावेदकगण ने न्यायालय को कोई सूचना नहीं दी । दूसरा यह की रेस्पोडेन्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में 3 फुट चौडे रास्ते की चौडाई बढाने के बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया है ।जो धारा-251{क} राजस्थान काश्तकारी अधि0 के प्रावधानों के अन्तर्गत ही है । फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 28-9-2012 में ख0नं0 732, 733, 734, 735, 1092/735 में वादीगण आवेदकगण का निवास करना बताया तथा ख0नं0 740 के पूर्व दक्षिणी में जो पगडण्डी निकलती है वह ख0नं0 735 के उत्तरी पश्चिमी कौने में निकलती है जिससे आने जाने के काम में आवेदकगण लेते हैं [illegible]

कुए की मोटर खराब हो जाती है तो फसल खडी होने से घर तक कोई गाडी नहीं जाती है । रास्ते की भारी दिक्त बताई गई है । मौका रिपोर्ट दिनांक 27-9-13 में ख0नं0 737, 738 की खातेदारी भारत सरकार(कस्टोडियन) के नाम दर्ज होना बताया जिस में ख0नं0 737 पर कब्जा श्यामलाल व ख0नं0 738 पर कब्जा रामनाथ का दर्ज है। मौका रिपोर्ट के अनुसार ख0नं0 735 अर्थात आवेदकगण जहां आबाद है उनके कुऐ की पानी की मोटर को सुधरवाना है तो भी व तथा कोई व्यक्ति बीमार पड जाता है तो उसे ले जाने के लिये साधन नहीं जा सकता। रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता बताई है । जिसके कारण अदालत मातहत ने सभी तथ्यों पर मनन करने के बाद कम दूरी का रास्ता दिया है । जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी भूल नहीं है । विद्वान वकील अपीलान्ट ने जो नजीर पेश की है उसके तथ्य भिन्न है । जो प्रकरण पर चस्पा नही है । आवेदकगण को रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता होने पर सबसे कम दूरी का दिया गया है जिसमे हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप उचित नही मानते हैं ।

अतः अपील अपीलान्ट साबित नहीं होने से अपील खारिज की जाती है तथा विद्वान उप खण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर बुहाना का निर्णय दि0 21-4-2016 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 30.4.2018 को सुनाया गया ।

30/4/18

(भंवरलाल मेहरड़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर